

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 50 : Receipt voucher

A receipt voucher referred to in clause (d) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely,-

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (e) description of goods or services;
- (f) amount of advance taken;
- (g) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (h) amount of tax charged in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (i) place of supply along with the name of State and its code, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce;
- (j) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
- (k) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative;

Provided that where at the time of receipt of advance,-

- (i) the rate of tax is not determinable, the tax shall be paid at the rate of eighteen per cent.;
- (ii) the nature of supply is not determinable, the same shall be treated as inter-State supply.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 50 : प्राप्ति वाउचर

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्राप्ति वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात्,—

- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल या सेवा कर पहचान संख्या ;
 - (ख) चौदह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण – हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे “-” और “/” क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;
 - (ग) उसके जारी करने की तारीख;
 - (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;
 - (ङ.) मालों और सेवाओं का वर्णन;
 - (च) अग्रिम ली गई रकम;
 - (छ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस);
 - (ज) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस);
 - (झ) राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान, अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में प्रदाय की दशा में;
 - (ञ) क्या कर आरक्षित भार आधार पर देय है; और
 - (ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर।
- परन्तु** अग्रिम की प्राप्ति के समय,—
- (i) कर की दर अवधार्य नहीं है, कर 18 प्रतिशत की दर पर संदेय किया जाएगा;
 - (ii) प्रदाय की प्रकृति अवधार्य नहीं है, उसके अन्तरराज्यीय प्रदाय के रूप में माना जाएगा।